न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4850/2004/बीकानेर

1. गुलाबचन्द पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी डूंगरगढ़, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

.....अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

..... रैस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री के0के0 पुरोहित अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेंट ।

निर्णय

दिनांक : 01अगस्त, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7–8–2004 अपील सं0 62/2004 बउनवानी गुलाबचन्द बनाम स्टेट के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि रोही मौजा डूंगरगढ़ के ख0 नं0 493 रकबा 14 बीघा भूमि पर सम्वत् 2020 से निरन्तर कब्जा काश्त है। इसलिए वह काश्तकार होने से प्रतिकूल कब्जे (एडवर्श पजेशन) के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्धान विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज कर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 18–1–2002 को वादी का वाद खारिज कर लिया जिसकी प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर में प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07–08–2004 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 07–08–2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि परीक्षण न्यायालय ने वादी द्धारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अपने निर्णय में कहीं भी विवेचन नहीं किया एवं न ही वाद बिन्दू बनाये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील मियाद बाहर मानकर साथ में गुणावगुण पर भी अपील को गलत खारिज कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह परीक्षण न्यायालय को प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित करते क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने गवाह एवं दस्तावेजों का कोई विवेचन नहीं किया और न ही तनकीयात कायम की जो कि कानूनन जरूरी थी। केवल मात्र यह अंकित कर देने से कि वादी चाहे तो नियमन हेतु कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है जबकि वादी अपना वाद सम्वत् 2020 से लगातार कब्जे काश्त होने एवं स्वीकृत कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के लिए पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट की अपील को मियाद बाहर माना जबकि वादी ने पहले वाद सहायक कलक्टर सुजानगढ़ कैम्प डूंगरगढ़ के यहां पेश किया जो बाद में स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के यहां आ गया किन्तु उन्होंने बिना सूचना के पेशी में लेकर वाद का निस्तारण कर दिया जिसकी जानकारी वादी/अपीलांट को नहीं हुई जिसका उल्लेख वादी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में स्पष्ट रूप से किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्धारा प्रस्तुत दावे की सुनवाई कानून द्धारा प्रदत्त प्रक्रिया को उपनाते हुए दावे को केवल मात्र प्रार्थना पत्र मानकर निर्णय कर दिया क्योंकि विचारण न्यायालय ने न तो तनकीयात बनायी और न ही किसी पक्षकार की गवाह/साक्ष्य ली और जवाब दावा पेश होने के बाद सीधे ही दोनों पक्षकारों की बहस सुनकर निर्णय पारित कर दिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय की समस्त कार्यवाही एकपक्षीय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से गैर कानूनी व निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है कि वादी/अपीलांट की अपील मियाद बाहर थी क्योंकि अपील आदेश दिनांक 18–1–2002 के विरूद्ध दिनांक 29–6–2004 को प्रस्तुत की गई थी। देरी को कण्डोन करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपील में दर्शित नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी सरकारी ईमारतों के लिए रिजर्व क्षेत्र है और यह भूमि शहर में आ गयी है। अपीलांट द्धारा एडवर्श पजेशन के संबंध में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये थे। इसलिए अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–1–2002 में अंकित किया है कि वादी की हैसियत अतिक्रमी की है जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि पर उसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 7–8–2004 में अंकित किया है कि वाद के समर्थन में अपीलांट ने केवल एक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2051 प्रस्तुत की है जिसके ख0 नं0 493/1 रकबा 60 बीघा 1 बिस्वा आराजी राज दर्ज है और कॉलम सं0 12 में रूपादेवी महिला माध्यमिक विद्यालय श्री डूंगरगढ़ के खेल मैदान हेतु 493/1 की 6 बीघा गै0मु0 का लालस्याही से नोट लगा हुआ है। इसमें अपीलांट के नाम का कोई नोट लगा हुआ नहीं है। इसके अतिरिक्त ख0 नं0 493 का नकल नक्शा पेश किया गया है। इन दो साक्ष्यों के अतिरिक्त न तो कोई अन्य अभिलिखित साक्ष्य है और न ही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अतः विवादित आराजी पर अपीलांट का गत 40 वर्षो से एडवर्श पजेशन होने के कथन को नहीं माना जा सकता। अपीलांट का नियमन हेतु प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है। अपीलांट ने अपने वाद को साबित करने हेतु अपील स्तर पर भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

7– जमाबन्दी सम्वत् 2051 में ख0 नं0 493/1 रकबा 60 बीघा 1 बिस्वा अंकित है और लाल स्याही से इन्तकाल नं0 1043 दि0 23–3–1995 से रूपादेवी महिला माध्यमिक विद्यालय डूंगरगढ़ के खेल मैदान हेतु 6 बीघा गै0मु0 का नोट लगा हुआ है। अपीलांट के पक्ष में किसी प्रकार का नोट नहीं है। वादी द्धारा और कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है।

8– स्पष्ट है कि वादी का न ही लम्बे समय से कब्जा ही साबित हो पाया है और न ही वादी का वाद साबित हो पाया है। अतः दोनों न्यायालयों द्धारा उचित व विधिसम्मत निर्णय पारित किये गये हैं। इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7–8–2004 व उपखण्ड अधिकारी, डूंगरगढ़ के निर्णय दिनांक 18–1–2002 यथावत रखी जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(शिखर अग्रवाल)**

सदस्य **सदस्य**